:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :–राकेश कुमार न्योल
मूकदमा नम्बर 01 / 2022 राजस्व अपील.
जयेश बनाम गौतम वगेरा

1 श्री जयेश पुत्र लाला रोत जाति मीणा उम्र बालीग निवासी भंवरीयाफला गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

2. श्री अनिल पुत्र लाला रोत जाति मीणा उम्र नाबालीग निवासी भंवरीयाफला गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज की ओर से वली माता कंकु

3. बसन्ती पुत्री लाला रोत जाति मीणा उम्र बालीग निवासी भंवरीयाफला गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

4. कंकु पत्नी लाला रोत जाति मीणा उम्र बालीग निवासी भंवरीयाफला गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

–अपीलांट

बनाम

1 श्री गोतम पुत्र रामा रोत जाति मीणा निवासी गन्दवा
2 इन्दीरा पुत्री नवला रोत जाति मीणा निवासी गन्दवा
3 कमला पुत्री नवला रोत जाति मीणा निवासी गन्दवा
4 नीरू पुत्री नवला रोत जाति मीणा निवासी गन्दवा
5 प्रवीण पुत्र नवला रोत जाति मीणा निवासी गन्दवा
6 फुलकी पत्नी स्व.नवला रोत जाति मीणा निवासी गन्दवा
7 बबली पुत्री नवला रोत जाति मीणा निवासी गन्दवा
8 मणी पुत्री नवला रोत जाति मीणा निवासी गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर
9 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज
10 श्री सरंपच ग्राम पंचायत गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

–रेस्पोडेंट

अपील बनाराजगी नामान्तरण सं. 527 एवं 19 आदेश प्रमाणीत ग्राम पंचायत गन्दवा त. झौथरीपाल जिला डूँगरपूर

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1 **श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता अपीलांन्ट**

2 **श्री धवल पटेल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की ओर से**

:: निर्णय ::

दिनांक 08 / 05 / 2024

(1) प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि यह कि अपीलान्ट एवं उसके कुटुम्ब का पेढीनामा निम्नानुसार है:–

ड अधिकारी
ीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

रामा पिता हकरा

नवला गोतम लाला

जयेश पुत्र अनिल पुत्र बसन्ती पुत्री कंकु पत्नी

यह कि अपीलान्ट की भूमि गॉव वाणीयातालाब कें जमबान्दी खाता सख्या 85 कें खसरा सख्या 319, 321, 322, 323, कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.9706 हैक्टेयर भूमि है अपीलान्ट के दादा एवं ससुर रामा की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण में अपीलान्ट के पिता एवं पति लाला का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट का नाम इस खाते में 1/6 हिस्से दर्ज होना चाहीए था। किन्तु नहीं कर ग्राम पंचायत द्वारा सही जॉच कर तस्दीक नहीं किया है। यह कि अपीलान्ट की भूमि गॉव गन्दवा कें जमबान्दी खाता सख्या 387 कें खसरा सख्या 2467, 2468, 2469, 2804, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2849, 2850, 2877, 6088 कुल खसरा किता 17 का कुल रकबा 2.6526 हैक्टेयर भूमि है अपीलान्ट के दादा एवं ससुर रामा की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण में अपीलान्ट के पिता एवं पति लाला का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट का नाम इस खाते में 1/3 हिस्से दर्ज होना चाहीए था। किन्तु नहीं कर ग्राम पंचायत द्वारा सही जॉच कर तस्दीक नहीं किया है, यह कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट के पिता को तलब कर सुना जाकर नाम दर्ज कर नामान्तरण तस्दीक किया जाना था किन्तु ऐसा नहीं कर भारी भूल की है। यह कि भू अभिलेख नियमावली की धारा 120 के अनूसार ग्राम पंचायत का कर्तव्य था कि वह श्री रामा की मृत्यू के बाद वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोले जाते समय जिनकी भूमि का नामान्तरकरण खोला जा रहा है उनके उपस्थिति हेतू नोटिस देते तथा उनका पक्ष सूनते लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कूछ नही किया गया अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा किया गया होता तो सत्य बात रेकार्ड पर आती लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कूछ नही किया गया जिससे उपरोक्त नामान्तरकरण सं. 527 एवं 19 शून्य व प्रभावहिन होकर खारीज योग्य हे। यह कि उपरोक्त नामान्तरण को शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किये जाने पर अकारण परेशानी होगी।यह कि अपीलांट अपने पिता/पति लाला पिता रामा की मृत्यू के बाद उनकी भूमि मे अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी था तथा विधिक वारिसान की श्रेणी मे आता है यह कि अपीलांट द्वारा अभी विशेष मूल निवास बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकले निकलवाई तो जानकारी हुई कि अपीलान्ट एवं उसके मृत पिता/पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया है तथा समयावधि मे अपीलान्ट अपील पेश है।यह कि दिनांक 08.01.2022 को अपीलांट द्वारा पटवारी साहब से भूमि की नकले निकलवाने सर्म्पक किया तो जानकारी मे आया कि अपीलांट का खाते मे नाम ही दर्ज नही है जिस पर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 08.01.2022 को प्राप्त की गई । जिस पर स्पष्ट रूप से जानकारी हूई। यह कि अपीलांट अपील की सूनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय आपको होने से अपील न्यायालय आप मे पेश है।यह कि खोला गया नामान्तरकरण सं. 527 एवं 19 देखने मात्र से अवैध एवम् शून्य है ऐसी परिस्थिति मे इस तरह के नामान्तरकरण को शून्य व निरस्त किया जाना आवश्यक है।अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार कि जाकर नामान्तरण सं. 527 एवं 19 ग्राम पंचायत गन्दवा को निरस्त किये जाने आदेश प्रदान करे। साथ हीं अपीलान्ट का नाम दर्ज करते हुए नया नामान्तरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

ण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, किन्तु कोई उपस्थित नहीं आने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

कि इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार तहसील झोथरीपाल जिला डूँगरपुर राज को एक पत्र कमांक राजस्व/2023/1834 दिनांक 04/10/2023 द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने आदेशित किया गया, जिस पर तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज पत्र कमांक :-राजस्व/2024/27 दिनांक 19/02/2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि:-यह कि श्रीमान के आदेशानुसार उक्त प्रकरण में पटवारी पटवार हल्का गंधवा को मौके पर उपस्थित होकर जॉच कर जॉच रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया, उक्त आदेश की पालना में पटवारी पटवार हल्का गधवा द्वारा दिनांक 16/10/2023 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त प्रार्थनापत्र की जॉच रिपोर्ट तैयार की गई। पटवारी पटवार हल्का गंधवा की जॉच रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थी एवं मौतबिरानो द्वारा बताया गया कि स्व. रामा पिता हकरा निवासी गंधवा की तीन संताने पुत्र नवला, गोतम, व लाला थे, रामा पिता हकरा की मृत्यु पश्चात विरासती नामान्तरण दर्ज करते समय भूलवशं लाला पिता रामा का नाम दर्ज नहीं करवाया गया। वर्तमान में लाला पिता रामा की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान के रूप में जयेश पिता लाला, अनिल पिता लाला, बसन्ती पुत्री लाला व कंकु पत्नी लाला है, जिनका राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कराना बताया गया। मौके पर उपस्थित मोतबिरानो द्वारा उक्त जानकारी सही होना बताया गया तथा बताया गया कि लाला पिता रामा के वारिसान के रूप में जयेश पिता लाला अनिल पिता लाला, बसन्ती पुत्री लाला, व कंकु पत्नी लाला का नाम दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः जॉच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में पेश हे।

कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट गोतम द्वारा राजीनामा पेश किया, रेस्पोडेन्ट गोतम द्वारा बताया कि गोतम नवला व लाला तीनो भाई थे, लाला जिसका स्वर्गवास हो चुका है लाला के वारीसान जयेश, अनील, बसन्ती पिता लाला एवं कंकु पत्नी लाला अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने राजीनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट गोतम की पहचान में आधार कार्ड पेश है जिसकी पहचान एडवोकेट धवल पटेल ने की है।

अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज. मय तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाई गई। बहस अन्तीम सुनी गई।

कियात्मक आदेश

गॉव गन्दवा कें जमबान्दी खाता सख्या 387 कें खसरा सख्या 2467, 2468, 2469, 2804, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2849, 2850, 2877, 6088 कुल खसरा किता 17 का कुल रकबा 2.6526 हैक्टेयर भूमि भूमि एवं गॉव वाणीयातालाब कें जमबान्दी खाता सख्या 85 कें खसरा सख्या 319, 321, 322, 323, कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.9706 हैक्टेयर भूमि के सबंध में नामान्तरण सख्या 527 एवं 19 को आपस्त किया जाता हे गॉव गन्दवा कें जमबान्दी खाता सख्या 387 कें खसरा सख्या 2467, 2468, 2469, 2804, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2849, 2850, 2877, 6088 कुल खसरा किता 17 का कुल रकबा 2.6526 हैक्टेयर भूमि में अपीलान्ट जयेश, अनील, बसन्ती पिता लाला एवं कंकु पत्नी लाला को 1/3 हिस्से में गोतम पुत्र रामा को 1/3 हिस्से में एवं नवला पुत्र रामा के वारीसान इन्दीरा, कमला, नीरू, प्रवीण, फुलकी, बबली, मणी को 1/3 हिस्से में दर्ज करते हुए नामान्तरण दर्ज किया जावे। इसी प्रकार मौजा वाणीयातालाब कें जमबान्दी खाता सख्या 85 कें खसरा सख्या 319, 321, 322, 323,

ण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.9706 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट जयेश, अनील, बसन्ती पिता लाला एवं कंकु पत्नी लाला को 1/6 हिस्से में गोतम पुत्र रामा को 1/6 हिस्से में एवं नवला पुत्र रामा के वारीसान इन्दीरा, कमला, नीरू, प्रवीण, फुलकी, बबली, मणी को 1/6 हिस्से में एवं अन्य सहखातेदार को बदस्तुर रखते हुए नामान्तरण दर्ज किया जावे।

तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 08/05/2024.को खूले न्यायालय मे सूनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा मुख्यालय धम्बोला जि. डूंगरपुर (राज.) सत्यमेव जयते